भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3605

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात उद्योग पर सीबीएएम का प्रभाव

3605. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात उद्योग पर यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) गत पांच वित्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान यूरोपीय संघ को कुल कितने इस्पात का निर्यात किया गया है;

(ग) सीबीएएम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इस्पात उद्योग को अनुमानित रूप से कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ड.): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। इस्पात का निर्यात बाजार संबद्ध वैश्विक बाजार परिस्थितियों, मांग और आपूर्ति, लौह अयस्क, कोकिंग कोल आदि जैसे इनपुट कच्चे माल की लागत जैसे कारकों पर निर्भर करता है। सरकार निर्यात, आयात, मूल्य आदि सहित इस्पात के समग्र परिदृश्य की नियमित रूप से निगरानी करती है।

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ को निर्यात किए गए तैयार इस्पात के मूल्य संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

निर्यात तैयार इस्पात	
वर्ष	**मूल्य (करोड़ रू.)**
2019-20	10,692
2020-21	14,144
2021-22	32,149
2022-23	22,482
2023-24	29,534
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी);	

जारी...2/-

सरकार ने भारतीय इस्पात उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

I. केंद्रीय बजट 2024-25 में, फेरो-निकल और मोलिब्डेनम अयस्कों और सान्द्रणों जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल हैं, पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

II. सीआरजीओ इस्पात के विनिर्माण के लिए फेरस स्क्रैप और विशिष्ट कच्चे माल पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

III. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन किया गया। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिसमें विशेष इस्पात के लिए लगभग 24 मिलियन टन (एमटी) डाउनस्ट्रीम क्षमता निर्माण शामिल है।

IV. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का कार्यान्वयन किया गया।

*****